भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1323**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024/20 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर व्यय

1323. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-24 के लिए देश में उर्वरकों पर सरकारी व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में जैविक उर्वरकों द्वारा प्रतिस्थापन सहित रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमत के मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति के वादे के अनुसार देश में उर्वरकों की लागत को कम करने में मदद की है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): सरकार किसानों को वहनीय कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 (31.01.24 की स्थिति के अनुसार) के लिए देश में उर्वरकों के लिए प्रदान की गई सब्सिडी 1,70,923 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग): सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, इन उर्वरकों की खरीद करने वाले गरीब और सीमांत किसान सहित भारत के किसी भी किसान को सब्सिडी का लाभ मिलता है। जहां तक यूरिया का संबंध है, किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है।

सरकार ने तीन वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) की अवधि के लिए गोबरधन पहल और पीएम-प्रणाम के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात संयंत्रों में उत्पादित खाद को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में पीएम-प्रणाम (धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम) को अनुमोदित किया है जिसका उद्देश्य उर्वरकों के सतत तथा संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को समर्थन प्रदान करना है।

(घ) और (ड.): भारत सरकार ने दिनांक 24 अगस्त, 2022 की अधिसूचना के द्वारा "प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) के तहत उर्वरकों के लिए एकल ब्रांड और लोगो की शुरुआत करके 'एक राष्ट्र एक उर्वरक' को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। पीएमबीजेपी के कार्यान्वयन ने उर्वरकों के विकल्पों (बास्केट) की उपलब्धता को बढ़ाया, बाजार में उपलब्ध अधिक ब्रांडों में से किसानों की चयन संबंधी दुविधा को दूर करता है और क्रिसक्रॉस संचलन को कम करने और समय पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है।

****